

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी**  
**(पीठासीन अधिकारी कैम्प कॉर्ट)**

पीठासीन अधिकारी :- नीता वसीटा (R.A.S.)

देवी लाल पुत्र सीताराम **उनवान** शंकर लाल जैराम व देवी ल  
रानी के भारती **बनाम** राशमी

दावा बाबत :- 88, 89, 136  
मुकदमा नम्बर :- 14/2020  
निर्णय दिनांक :- 10/11/2021

प्रशासन गाँवों के संग  
अभियान-2021

वादी की ओर से राम की व प्रतिवादी की ओर से शंकर की  
उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10/11/2021 को **नीता वसीटा** (नाम पीठासीन  
अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, **राशमी** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश  
किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा भारती 50 20 भारती पु के  
खता 200 नं० 9 से दल लाल पुत्र सीताराम के  
बनाम देवी लाल पुत्र सीताराम आवे देवी लाल  
शंकर लाल जैराम ज्ञान की दिक्कत की खरी है।  
खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन  
करेंगे।

यह आज तारीख 10/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी  
गई।



(नीता वसीटा)  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी

वाद के खर्चे		प्रतिवादी	
वादी	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
	जुड़		जुड़

